नारायणलाल व अन्य बनाम इन्द्रादेवी व अन्य
प्रकरण संख्याः— 141 / 2024(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः—24 / 12 / 2024

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

प्रकरण सख्या —141 / 2021 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक — 01 / 07 / 2021
निर्णय दिनांक —24 / 12 / 2024

अनवान

1. नारायणलाल पिता दीपा जाति सालवी निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. मीना पुत्री दीपा जाति सालवी निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
3. तुलसी पुत्री दीपा जाति सालवी निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

प्रार्थीगण

बनाम

1. इन्द्रादेवी पत्नी गोपालकृष्ण जाति खटीक निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. बद्रीलाल पिता डालुराम जाति खटीक निवासी कामलीघाट तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
3. लोकेश पुत्र जगदीश चनाल जाति भंगी निवासी खाजीपीर उदयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी कब्जेसुदा भूमि मोजा फुकियाथड तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 61 खसरा संख्या 357 रकबा 0.4300 हैक्टेयर बारानी 02 स्थित है। प्रार्थना पत्र की

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

कॉलम संख्या एक में वर्णित कुलिया आराजियात पर प्रार्थीगण निर्बाध रूप से कास्त वगैरा करते चले आ रहे है किन्तु प्रार्थीगणों कि उक्त भूमि के चारों तरफ पत्थर की पक्की बाउन्डरी सीमा चिन्ह नहीं होने से अप्रार्थीगण जो प्रार्थीगण के उक्त वर्णित भूमि के सीमा से मिलते हुए पडौसी है व फसल बुवाई, कटाई के समय सीमा सम्बन्धी विवाद करते रहते है तथा अनावश्यक प्रार्थी को मुकदमे बाजी के लिये विवश होना पड़ रहा है मौके पर अशांति कायम रहती है जिससे प्रार्थीगण उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक भूमि पर काश्त, उपयोग, उपभोग भूमि का नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा से मिलते हुए विपक्षीगण की भूमि की सीमा है जिससे विपक्षीगण प्रार्थी की उक्त भूमि के पडौसी है किन्तु मौके पर सीमा बाबत् विवाद विपक्षीगण करते है इसलिए आराजियात के सीमा के पडौसी होने से आवश्यक पक्षकार के रूप में विपक्षीगण बनाया गया है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजियात की बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो प्रार्थी को फालरे की बुआई व कटाई के समय विपक्षीगण एक दो तीन से सीमा बाबत जो हर वक्त विवाद पैदा होता है वह हमेशा–हमेशा के लिए समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थी शांतिपूर्वक काश्त वगैरा व भूमि का उपयोग कर सकेगा। इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढी पेश किया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि खातेदारी की उक्त वर्णित मोजा फुकियाथड तहसील देवगढ़ की आराजी संख्या 357 रकबा 0.4300 हैक्टेयर कुल आराजी किता एक कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर कुलिया भूमि की बाद नपती पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा निवेदन किया गया कि मुझ प्रार्थिया द्वारा मेरी खातेदारी भूमि में शुद्धिकरण करवाने हेतु आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश कर रखा है जिसके प्रकरण संख्या 93/2021, इन्द्रा देवी बनाम राज्य सरकार है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है परन्तु मेरी उक्त खातेदारी भूमि के पडौसी खातेदारी श्री नारायणलाल सालवी द्वारा अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु आप न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है जिसके प्रकरण संख्या 141/2021, नारायण बनाम इन्द्रा वगैरह होकर जिसके दिनांक 18.09.2023 के सम्मन मुझ प्रार्थिया को भी प्राप्त हुए है मुझ प्रार्थिया द्वारा वक्त सेटलमेन्ट में मेरी भूमि का रकबा कम हो जाने पर रकबा सही करवाने हेतु आप न्यायालय में पेश प्रार्थना–पत्र प्रकरण संख्या 93/2021 जो कि आप न्यायालय में विचाराधीन है जब तक उक्त प्रकरण का अन्तिम निस्तारण नहीं हो जावें तब तक श्री नारायण लाल द्वारा अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु पेश प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही रूकवाई जावे तथा पत्थरगढ़ी की अग्रिम कार्यवाही नहीं की जावे। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण संख्या 93/2021 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136(इन्द्रा देवी बनाम सरकार) के अन्तिम निस्तारण तक प्रकरण संख्या 141/2021 प्रार्थना–पत्र पत्थरगढ़ी (नारायणलाल बनाम इन्द्रा वगैरह) में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे की ज्ञात हो सके कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रार्थिया की भूमि का रकबा कम किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 नियत पेशी दिनांक पर भी उपस्थित नहीं रहे। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गए। अप्रार्थीगण संख्या 02 एवं 03

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :—

> Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.
>
> Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम फुकियाथड तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 61 आराजी संख्या 357 रकबा 0.4300 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे / रकबा कम / ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24 / 12 / 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द
सहायक कलक्टर देवगढ़
जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)